



प्रेस नोट

दिनांक 02.07.2025

थाना सिसोलर पुलिस द्वारा चोरी के माल सहित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिसोलर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 74/25 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वीर सिंह पुत्र रामबख्श (उम्र करीब 32 वर्ष) निवासी ग्राम खैर थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को भमई पुल के पास से चोरी के माल सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

वीर सिंह पुत्र रामबख्श (उम्र करीब 32 वर्ष) निवासी ग्राम खैर थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण

01. एक बोरी में 30 किलो लाही
02. एक अदद रेडमी मोबाइल
03. एक जोड़ी तोड़िया (पायल)

आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 -47/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
02. चालानी रिपोर्ट- 37/21 – धारा 110 जी अधिनियम
03. मु0अ0सं0 - 141/21 – धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
04. मु0अ0सं0 - 126/23- धारा 457/380/411 भा0दं0सं0

गिरफ्तार करने वाली टीम

01. उ0नि0 संजय कुमार राय
02. का0 पुरुषोत्तम नारायण
03. का0 राजकुमार पाल

